राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 690/2013/डूंगरपुर

1. खुशीलाल, पिसरान लक्ष्मीचन्द जैन, निवासी–बेहना, तहसील–जिला–डूंगरपुर।
2. नवीनलाल, पिसरान लक्ष्मीचन्द जैन, निवासी–बेहना, तहसील–जिला–डूंगरपुर।
3. अमृतलाल पुत्र हेमचन्द जैन, निवासी–पाडली गजेश्वर, तहसील–सीमलवाड़ा, जिला–डूंगरपुर।
4. जयन्तीलाल पुत्र कपूरचन्द जैन, निवासी–कटीसोर, तहसील–आसपुर, जिला–डूंगरपुर
5. अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री साकलचन्द जैन (मृतक) के स्थान पर वारिसानः–

श्रीमति सरिता देवी पत्नि,
संजय जैन पुत्र
मंजय जैन, पुत्र
जिम्मी जैन, पुत्र

सभी निवासी– रामगढ़, तहसील–आसपुर, जिला–डूंगरपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, डूंगरुपर।
2. दिनेश पुत्र चिमनलाल
3. योगेश पुत्र चिमनलाल
4. कमलेश पुत्र चिमनलाल
5. मु.जयलक्ष्मी पुत्री चिमनलाल
6. श्रीमति कमलादेवी, बेवा चिमनलाल,

सभी जाति– भोई, निवासी–न्यू कॉलोनी, तहसील व जिला–डूंगरपुर ।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18.07.2014

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थीगण द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–उदयपुर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 14/2006 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.12.2006 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण संख्या–2 लगायत

लगातार.....2

6 द्वारा अपने स्वामित्व के भूखण्ड संख्या–58, रकबा 80 X 80 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 6400 वर्गफीट, जो कि राजपुर विस्तार योजना, डूंगरपुर में स्थित है, को ₹10,00,000/– में प्रार्थीगण को विक्रय करने का एक लिखित "इकरारनामा" (agreement to sale) दिनांक 17.08.2004 को प्रस्तुत किया गया। जिसे उप–पंजीयक द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज को कमी मालियत का होना अवधारित कर, प्रश्नगत सम्पति की मालियत ₹17,17,900/– मानकर, प्रार्थीगण को कमी मुद्रांक व पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु आदेश जारी करने पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त को जमा करवाने के उपरांत उप–पंजीयक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को पंजीबद्ध कर, पक्षकारों को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् तत्पश्चात महालेखाकार जांच दल द्वारा प्रश्नगत सम्पति की मालियत ₹35,87,100/– होना मानने पर, उपपंजीयक द्वारा प्रकरण को अधिनियम की धारा 51(4) के तहत रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश दिनांक 29.12.2006 से रेफरेन्स के प्रस्तावानुसार सम्पत्ति की मालियत निर्धारित करते हुए तदनुसार कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति सहित कुल राशि ₹1,60,000/– वसूली का आदेश पारित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश के विरूद्व यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र सहित पेश की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति कय कर, संबंधित दस्तावेज तत्समय की प्रचलित दर के आधार पर पंजीबद्ध करवाये गये थे। तत्पश्चात् महालेखाकार जांच दल द्वारा आक्षेप बनाने पर उपपंजीयक द्वारा रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया है, जो कि लगभग 1 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् है, एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा सुनवाई हेतु प्रार्थीगण को सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर प्रदान किये बिना साईक्लोस्टाईल्ड प्रारूप में पारित किया गया निगरानी अधीन आदेश गैर कानूनी एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इसके अतिरिक्त तर्क दिया कि विवादित आदेश पूर्व में टंकित **"साईक्लोस्टाईल्ड"** कागज़ पर खाली स्थानों को भरकर, जारी किया गया है, जिसमें स्वयम् के मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपने कथन के समर्थन में अधोहस्ताक्षरी की पीठ द्वारा निगरानी संख्या 468/2013/नागौर निर्णय दिनांक 15.04.2014 को प्रोद्धरित कर, पारित आदेश दिनांक 25.07.2006 को अनुचित एवम् अविधिक होने के कारण अभिखण्डित कर, अपास्त करने की प्रार्थना की गयी।

लगातार.....3

गुणावगुण पर कथन किया कि अधिनियम की धारा 51(4) के प्रावधानानुसार उपपंजीयक रेफ्रेन्स प्रेषित करने की अधिकारित ही नहीं है। अतः उक्त आधार पर प्रस्तुत रेफ्रेन्स ही विधिशून्य होने के कारण कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण अपास्त योग्य है।

अग्रिम कथन किया कि निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में उल्लेखित यथेष्ट एवं युक्तियुक्त कारणों के आधार पर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि जांचदल द्वारा आक्षेप किये जाने में, उपपंजीयक द्वारा रेफरेंस प्रेषित किये जाने में एव कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा रेफरेंस स्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब बाबत उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड (पृष्ठ कमांक 1 से 21 तक) के अवलोकन से पाया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा हस्तगत प्रकरण के संबंध में सुनवायी हेतु प्रार्थीगणों को नोटिसेज जारी नहीं किये गये हैं जो कि नैसिर्गक न्याय सिद्धांतों की अवहेलना है। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेफरेन्स अनुसार बिक्रीत सम्पति की मालियत निर्धारित कर इस पर देय कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति की राशि वसूली हेतु साईक्लोस्टाइल प्रारूप में निगरानी अधीन आदेश दिनांक 29.12.2006 पारित किया गया है। विद्वान कलक्टर द्वारा पारित आदेश **साईक्लोस्टाईल प्रपत्र में खाली स्थान भरकर पारित किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान कलक्टर द्वारा हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के संबंध में संचेतन मस्तिष्क से गहन विचार कर निष्कर्ष अवधारित नहीं किये गये हैं।** अतः विवादाधीन पारित

लगातार.....4

आदेश को अपास्त कर, प्रकरण कलक्टर को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में सम्बद्ध पक्षकारों को पुनः सुनवायी का युक्तियुक्त मौका प्रदान कर, इस संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करने की कार्यवाही करें।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 29.12.2006 एतद्द्वारा अपास्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सम्पत्ति की मालियत निर्धारण हेतु राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के प्रावधानों के अनुरूप जांच एवं विधिक प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात प्रश्नगत सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू का निर्धारण करते हुए तद्नुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क देयता का विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

18.7.2014
(मदन लाल)
सदस्य